राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/ 2020/1292 दिनांकः– 31/1/2020

आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 240 वीं बैठक दिनांक 17–01–2020 के विचार बिन्दु संख्या 240.5 में लिये गये निर्णय की पालना में मण्डल की विभिन्न योजनाओं में आवंटित आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक भूखण्ड/प्लिंथ स्तर आवास/स्केल्टन आवासों पर निर्माण पूर्ण करने हेतु अनुज्ञेय दो वर्ष की समयावधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में, पूर्व में जारी सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. भौतिक कब्जा सुपुर्दगी की तिथी से 08 वर्ष की अवधि तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले आवंटियों से आवंटन लागत पर 01.00 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रशासनिक शुल्क वसूलते हुए, ऐसे आवंटियों को निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु दो वर्ष का समय दिया जावेगा। ऐसे प्रकरणों की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त सक्षम होगें।

2. भौतिक कब्जा सुपुर्दगी की तिथी से 10 वर्ष से अधिक की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले आवंटियों से आवंटन लागत पर प्रथम 08 वर्ष के लिए 01.00 प्रतिशत वार्षिक तथा शेष अवधि के लिए 02.00 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रशासनिक शुल्क वसूलते हुए, ऐसे आवंटियों को निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु दो वर्ष का समय दिया जावेगा। ऐसे प्रकरणों की स्वीकृति के लिए आवासन आयुक्त सक्षम होंगें।

3. आवंटी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन किये जाने की स्थिति में, आवंटी को अपने आवेदन के साथ निर्माण कार्य की पूर्णता के प्रमाणीकरण/साक्ष्य यथा बिजली/पानी के बिल इत्यादि प्रस्तुत करने होंगें तथा साक्ष्य पर अंकित तिथी के आधार पर गणना कर, साक्ष्य में दर्शित तिथी से दो वर्ष की अवधि बिना किसी शुल्क के अनुज्ञेय करते हुए, शेष अवधि में से प्रथम 08 वर्ष के लिए 01.00 प्रतिशत वार्षिक तथा शेष अवधि पर 02.00 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रशासनिक शुल्क वसूलते हुए, समयावधि में अभिवृद्धि की स्वीकृति बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार, सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त अथवा आवासन आयुक्त द्वारा प्रदान की जावेगी।

4. संस्थागत भूखण्डों के आवंटियों द्वारा भौतिक कब्जा सुपुर्दगी की तिथी से दो वर्ष की नियत अवधि में अथवा आवंटन पत्र में वर्णित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर आवंटन के समय प्रभावी संस्थानिक भूखण्डों की आरक्षित दर का 02.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विलम्बित अवधि के लिए प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए आगामी 05 वर्ष तक निर्माण की अवधि आवासन आयुक्त द्वारा बढ़ाई जावेगी। अभिवृद्धित समयावधि में भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर, आवंटन निरस्तीकरण सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी।

पी.टी.ओ.

सभी प्रकरणों में समयावधि अभिवृद्धि सम्बन्धी स्वीकृति पत्र में अनुमति जारी होने की तिथी से गणना करते हुए, कार्य पूर्ण करने की अन्तिम तिथी भी अंकित की जावेगी। प्रशासनिक शुल्क की राशि मासिक आधार पर आनुपातिक रूप से वसूलनीय होगी एवं इसकी गणना अधूरे माह को पूरा माह मानते हुए की जावेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे तथा सभी कार्यालयों में निर्माण स्वीकृति अवधि बढ़ाने संबंधी लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण/मांगपत्र जारी करने की कार्यवाही 28.02.2020 तक आवश्यक रूप से कर ली जावें।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–....., रा0आ0म0, ... (समस्त)
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–....., रा0आ0म0, ... (समस्त)
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी, विपणन शाखा, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक